उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांक 797–ई/पालिसी/2018

दिनांक .08.2018

NCRPS No. 5262/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाईजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मषीन ट्रेनिंग सेन्टर इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कषाप,झाँसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर,झाँसी, ट्रान्सपोर्टेषन,ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगजं,इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।
व.स.वि.स./कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद के लिये जीडीओई के अन्तर्गत चयनित ट्रेनिंग स्टाफ को वेतन/मजूरी और अन्य भत्ते जैसे कि एचआरए/टीए आदि की ग्राह्यता।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(P&A)II-2017/RAS-07 दिनांक 20.12.2017 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

(V.P.Singh)
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक,उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक – एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

B 01/5/18

18/1/18

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

RBG-2018-125
19-1-18

सं. ई(पीएंडए)।-2017/आरएस-07

नई दिल्ली, दिनांक 20.12.2017

महाप्रबंधक (पी),
दक्षिण रेलवे,
चेन्नै.

विषय: जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद के लिए जीडीसीई के अंतर्गत चयनित रनिंग स्टाफ को वेतन/मजूरी और अन्य भत्ते जैसे कि एएलकेएम/टीए आदि की ग्राह्यता।

संदर्भ: रेलवे के दिनांक 29-08-2016 एवं 23-02-2017 का पत्र सं. पी(एस) 353/IV/पीजीटी डीएन कोर्ट केसेज़

+++++++

दक्षिण रेलवे ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रनिंग स्टाफ, का जीडीसीई के अंतर्गत आने वाले नॉन-रनिंग पद के लिए चयन होने पर और बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 के पैरा 2(ग)(i) के अनुसार, जिसने वेतन तथा भत्ते लेने के लिए विकल्प दिया था, 30% वेतन तत्व के भुगतान के लिए पात्र होगा अथवा नहीं होगा।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग स्टाफ का जीडीसीई के अंतर्गत आने वाले नॉन-रनिंग पद के लिए चयन होने पर और बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 के पैरा 2(ग)(i) के अनुसार, जिसने वेतन तथा भत्ते लेने के लिए विकल्प दिया है, वह निम्नलिखित कारणों से किसी प्रयोजन के लिए 30% वेतन तत्व के भुगतान के लिए पात्र नहीं है:

(i) ऐसे अप्रेंटिस अब रनिंग स्टाफ नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने रनिंग ड्यूटी का कार्य निष्पादन बंद कर दिया है। बोर्ड के दिनांक 15.09.2006 के पत्र सं. ई(पीएंडए)।-2004/आरएस-28 के तहत, ऐसे रनिंग स्टाफ, जिन्होंने जीडीसीई योजना के अंतर्गत रिक्तियों के तहत चयन के लिए स्वैच्छिक विकल्प दिया है, के वेतन निर्धारण के लिए वेतन तत्व को शामिल न करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है। इसलिए वेतन के अंश को किसी अन्य लाभ के लिए शामिल नहीं किया जा सकता।

(ii) बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 (आरबीई सं. 48/2006) का पैरा 2(ग)(i) में संगत नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रनिंग स्टाफ को प्रशिक्षण पर भेजे जाने से पूर्व धारित पद में उनके मूल संवर्ग वेतन के आधार पर सभी भत्तों और सुविधाओं (टीए/डीए और पीएलबी सहित) की ग्राह्यता का उल्लेख है। बहरहाल, वेतन का अंश, मूल वेतन का भाग नहीं है जैसा कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द ।। के नियम 1309 में परिभाषित है।

3. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रेंटिस अब से रनिंग स्टाफ नहीं होंगे और इसलिए वे भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द ।।/2005 के नियम 1685 एवं 1686 के अनुसार टीए/डीए के लिए पात्र हैं, जैसा सेवारत रेलवे कर्मचारियों में से चयनित अप्रेंटिस के मामले में अनुमेय होता है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पीएंडए)-।।
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (पी), सभी क्षेत्रीय रेलें, दक्षिण रेलवे को छोड़कर।

प्र0 मुकाधि0	
मुकाधि0 (प्रशा0)	✓
मुकाधि0 (आई0 आर0)	
उप मुकाधि0 (राज0)	
उप मुकाधि0 (मुख्या0)	✓ 25/1
उप मुकाधि0 (आई0आर0)	
अध्यक्ष/रे0म0प्र0	
प्र0 का0 अधि0 (राज)	
प्र0 का0 अधि0 (औ0सं0)	
प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)	✓
सकाधि0 (आई0आर0)	
सकाधि0 (भर्ती0)	
मु0 कार्या0 अधी0/कार्या0 अधी0	Pw

Pl circulate to all concerned

NCR/ALLAHABAD